न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 11 / 2018 / दावा

1. महेन्द्र कुमार पुत्र दुलाराम जाति जाट निवासी ग्राम बानूड़ा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
2. अरविन्द डूडी पुत्र दुलाराम जाति जाट निवासी ग्राम बानूड़ा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर नाबालिग जरिये संरक्षिका माता मोहनी देवी पत्नि दुलाराम जाति जाट निवासी ग्राम बानूड़ा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

--प्रार्थीगण

ब ना म

1. तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

-- प्रतिवादीगण

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थिति–

1. श्री शिवपाल सिंह, वकील प्रार्थीगण की ओर सें।

नि र्ण य दिनांक – 24.07.2019

1. वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम बानूड़ा पटवार हल्का बानूड़ा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की तन में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 971 रकबा 0.6400 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 976 रकबा 1.1400 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.7800 हैक्टर में प्रार्थीगण का 1/4, 1/4 हक हिस्सा एवं समान कब्जा काश्त है। उक्त वर्णित भूमियों में प्रार्थी सं0 1 का नाम मन्नालाल पुत्र दुलाराम गलत रूप सें अंकित किया हुआ है प्रार्थी सं0 1 का सही नाम महेन्द्र कुमार पुत्र दुलाराम है। उक्त वर्णित भूमियों में प्रार्थी सं0 1 का नाम मन्नालाल पुत्र दुलाराम संहवन सें अंकित हुआ है। प्रार्थी को गांव में तथा उसके समस्त दस्तावेजों में स्वयं का नाम महेन्द्र कुमार पुत्र दुलाराम अंकित किया हुआ है। प्रार्थी सं0 1 के नाम जारी माध्यमिक शिक्षा बार्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जारी अंकतालिका, मूलनिवास प्रमाण में भी प्रार्थी का नाम महेन्द्र कुमार पुत्र दुलाराम अंकित किया हुआ है। जमाबंदी तथा रेवेन्यू रिकॉर्ड में प्रार्थी सं0 1 का नाम मन्नालाल पुत्र दुलाराम के स्थान पर महेन्द्र कुमार पुत्र दुलाराम दुरूस्त किया जाना उचित एवं आवश्यक है। उक्त वर्णित भूमियों में प्रार्थी सं0 2 का नाम कजोड़मल पुत्र दुलाराम गलत रूप सें अंकित किया हुआ है। प्रार्थी सं0 2 का वास्तविक एवं सही नाम अरविन्द डूडी पुत्र दुलाराम है किन्तु राजस्व

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

रिकॉर्ड में प्रार्थी सं0 2 का नाम कजोड़मल पुत्र दुलाराम अंकित है जो गलत है। प्रार्थी सं0 2 के अन्य समस्त दस्तावेजो में नाम अरविन्द डूडी पुत्र दुलाराम अंकित है तथा प्रार्थी सं0 2 के नाम जारी माध्यमिक शिक्षा बार्ड राजस्थान के अंकतालिका, आधार कार्ड में भी प्रार्थी सं0 2 का नाम अरविन्द डूडी पुत्र दुलाराम अंकित है। अतः प्रार्थी सं0 2 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में कजोड़मल पुत्र दुलाराम के स्थान पर अरविन्द डूडी पुत्र दुलाराम दुरूस्त किया जावे। आवेदन पेश कर अंत मे यह इस्तदुआ चाही गई कि आवेदन स्वीकार कर प्रार्थी सं0 1 का नाम मन्नालाल पुत्र दुलाराम के स्थान पर महेन्द्र कुमार पुत्र दुलाराम जाति जाट निवासी बानूड़ा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर दर्ज किया जाना तथा प्रार्थी सं0 2 का नाम कजोड़मल पुत्र दुलाराम के स्थान पर अरविन्द डूडी पुत्र दुलाराम जाति जाट निवासी बानूड़ा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर दर्ज किया जाना प्रार्थनीय है।

2. आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किया गया तथा प्रतिवादी तहसीलदार दांतारामगढ सें तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार दांतारामगढ सें प्राप्त रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया। तहसीलदार दांतारामगढ सें प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार "मन्नालाल पुत्र दुलाराम के बजाय महेन्द्र कुमार पुत्र दुलाराम व कजोड़मल पुत्र दुलाराम के स्थान पर अरविन्द डूडी पुत्र दुलाराम शुद्ध किया जाना उचित है।"

3. बहस विद्वान अधिवक्ता वादी सुनी गई तथा बहस पर मनन किया तथा वादपत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। बहस के दौरान वादी के अधिवक्ता ने वादपत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया कि प्रार्थीगणों का नाम संहवन सें राजस्व रिकॉर्ड में गलत अंकन हुआ है जबकि राजस्व रिकॉर्ड के अलावा अन्य सभी दस्तावेजों में प्रार्थी सं0 1 का नाम महेन्द्र कुमार पुत्र दुलाराम तथा प्रार्थी सं0 2 का नाम अरविन्द डूडी अंकित है। प्रार्थी सं0 1 का नाम मन्नालाल पुत्र दुलाराम के स्थान पर महेन्द्र कुमार पुत्र दुलाराम जाति जाट निवासी बानूड़ा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर तथा प्रार्थी सं0 2 का नाम कजोड़मल पुत्र दुलाराम के स्थान पर अरविन्द डूडी पुत्र दुलाराम जाति जाट निवासी बानूड़ा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर दर्ज किया जाना प्रार्थनीय है। अतः उक्त दुरूस्तीकरण किया जावें।

पत्रावली में पेश किये गये दस्तावेजों तथा ग्राम पंचायत बानूड़ा द्वारा जारी प्रमाण पत्र सें स्पष्ट है कि मन्नालाल पुत्र दुलाराम का नाम महेन्द्र पुत्र दुलाराम तथा कजोड़मल पुत्र दुलाराम का नाम अरविन्द डूडी पुत्र दुलाराम राजस्व रिकॉर्ड में

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

Scanned by CamScanner

दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। अतः उक्त सभी तथ्यों सें संतुष्ट होने पर प्रार्थीगण का आवेदन अंतर्गत धारा 136 एलआर एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम बानूड़ा पटवार हल्का बानूड़ा तहसील दांतारामगढ के खसरा नम्बर 971 रकबा 0.6400 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 976 रकबा 1.1400 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.7800 हैक्टर में मन्नालाल पुत्र दुलाराम के स्थान पर महेन्द्र कुमार पुत्र दुलाराम तथा कजोड़मल पुत्र दुलाराम के स्थान पर अरविन्द डूडी पुत्र दुलाराम जाति जाट निवासी ग्राम बानूड़ा तहसील दांतारामगढ दर्ज किये जाने के आदेश दिये ज़ाते है शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 24.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर से कम हो ।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner